

# कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग, विदिशा

email :- eepwdvidisha@mp.nic.in

Tel. no. 07592-232805

क्रमांक 6708 / त.शा. / मार्ग / 2023-24 / प्रति,

विदिशा, दिनांक 28-12-23

वनमण्डलाधिकारी  
सामान्य वनमण्डल, विदिशा

विषय -

विदिशा जिले में लोहरा से झिरिया मंदिर तक मार्ग के निर्माण/उन्नयन हेतु 2.280 हेक्टेयर वनभूमि, लोक निर्माण विभाग संभाग विदिशा को उपयोग पर देने बाबत। (ऑन लाईन प्रकरण क. /FP/MP/ROAD/43379/2019)

संदर्भ -1.

आपका पत्र क्रमांक/मा.चि./1994/विदिशा दिनांक 30.10.2023

2.

अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग उपसंभाग क. 1 विदिशा का पत्र क. 1943/दिनांक 27.12.2023

—00—

है:-

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में चाही गई बिन्दुओं की जानकारी निम्नानुसार

No-	Requirement	Compliance
1	Uploding revised KML files of area proposed for diversion and	KML file Revised Upload कर दी गई है।
2	When were works executed in violation of FCA and if the permission for use of forest land for non-forestry purposes has been granted by a State Authority without the prior approval of be central government under section 2 of the Forest Conservation Act 1980 then a report with all details of violation, authority responsible for violation etc shall be submitted by the State Government on the recommendation of the Forest Department so as to initiate action under section 3A and/or 3B of FC Act, as may be applicable, against the authority causing the violation of Forest (Conservation) Act, 1980 shall be submitted.	उक्त मार्ग का वनक्षेत्र अंतर्गत 2.00 कि.मी. भाग वर्ष 1980 से पूर्व का प्रचलित मार्ग है। जिसपर विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का उल्लंघन नहीं किया गया है।
3	State government will initiate disciplinary action against the official concerned for not being able to prevent use of forest land for non-forestry purpose without prior approval of Government of India.	प्रचलित मार्ग के उक्त भाग पर कोई कार्य नहीं किया गया है।
4	User agency responsible for violation shall be prosecuted under local Act of the State for unauthorized use of forest land without the permission of State authority A detailed report on persons/agencies responsible for violation and action taken by the State Govt./Forest Dept. as per clause 1.21 of FCA guidelines shall be submitted.	प्रचलित मार्ग 1980 के पूर्व का नॉन मेटण्ड/कार्टट्रेक/कच्चा मार्ग है। जिस पर कोई कार्य नहीं किया गया है।

सहपत्र - शून्य।

पृष्ठा. क्रमांक 6709 / त.शा. / मार्ग / 2023-24 / प्रतिलिपि ,

- कलेक्टर जिला विदिशा की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग उपसंभाग क. 1 विदिशा की ओर भेजकर लेख है कि आप संबंधित उपयंत्री को निर्देशित करें कि संबंधित कार्यालय में उपस्थित होकर प्रकरण का निराकरण करावें। एवं की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करावे।

सहपत्र :- शून्य।

कार्यपालन यंत्री,  
लोक निर्माण विभाग संभाग विदिशा  
विदिशा, दिनांक 28-12-23

कार्यपालन यंत्री,  
लोक निर्माण विभाग संभाग विदिशा